इसे वेबसाईट www.govtpressinp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता हैं.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २६७]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024-भाद्र 22, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024

एफ- 1/1/1/0008/2024/GAD/RTI/1-9:: यत: राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-11/2005 /सूअप्र/1/9 दिनांक 22.08.2005 द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए पहले से ही राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश का गठन कर लिया है;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(2) के अनुसरण में, राज्य सूचना आयोग, मध्यप्रदेश में निम्नलिखित पदाधारी होंगे, अर्थात:-

1.	श्री विजय यादव	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2.	डॉ.वंदना गांधी	राज्य सूचना आयुक्त
3.	डॉ. उमाशंकर पचौरी	राज्य सूचना आयुक्त
4.	श्री ओंकार नाथ	राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्तों की पदाविध उस तारीख से, जिसको कि वे अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) में वर्णित है।

F- 1/1/1/0008/2024/GAD/RTI/1-9:: Whereas, the State Government has already constituted the State Information Commission, Madhya Pradesh vide this department's Notification No. F 11-11/2005/RTI/1/9 dated 22.08.2005 under sub-section (1) of section 15 of the Right to Information Act,2005 (22 of 2005) to exercise the powers conferred on it and to perform the functions assigned to it under the said Act;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the State Information Commission, Madhya Pradesh shall consist of the following officials, namely:-

	13.5	
1	Shri Vijay Yadav	State Chief Information Commissioner
2	Dr. Vandana Gandhi	State Information Commissioner
3	Dr. Umashankar Pachauri	State Information Commissioner
4	Shri Onkar Nath	State Information Commissioner

The term of office of the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner shall be of three years from the date on which they enter upon their office or till they attain the age of sixty five years, whichever is earlier, as mentioned in sub-section(1) and (2) of section 16 of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.